



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68289

Dated: - 25/10/2025

अधिसूचना

विषय: धर्म एवं आस्था के नाम पर होने वाली समस्त प्रकार की हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद एवं घृणा-भाषण के पूर्ण निषेध हेतु ऐतिहासिक 'अहिंसा एवं सौहार्द हेतु वैश्विक धर्म-घोषणापत्र' ("Faith for Non-Violence Global Declaration 2025") का आधिकारिक विमोचन, अनुमोदन, वैश्विक अंगीकरण तथा विधिक अनुपालन दिशा-निर्देश।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 3 (अहिंसा, मानवीय करुणा एवं शांति स्थापना का मूल सिद्धांत), संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों तथा शासी निकाय (Governing Council) एवं 124 राष्ट्रों के धर्मगुरुओं के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त संकल्प संख्या NV-32/2025 के अनुसरण में, धर्म के नाम पर किसी भी निर्दोष मानव के विरुद्ध हिंसा अथवा उत्पीड़न को पूर्णतः अधार्मिक, अनैतिक व मानवता-विरोधी घोषित करते हुए ऐतिहासिक 'Faith for Non-Violence Global Declaration' को एतद्वारा विधिक रूप से प्रख्यापित, विमोचित एवं वैश्विक स्तर पर जारी किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं विधिक प्रभाव

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद अहिंसा वैश्विक घोषणापत्र अधिसूचना, 2025' कहलाएगी।
- 1.2 यह घोषणा-पत्र परिषद के समस्त 162 सदस्य देशों, राष्ट्रीय व जोनल चैप्टर्स, संबद्ध धार्मिक न्यासों, शिक्षण संस्थानों एवं अधिकृत धर्मगुरुओं पर तत्काल प्रभाव से विधिक एवं नैतिक रूप से बाध्यकारी होगा।
- 1.3 यह घोषणा-पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के शांति सिद्धांतों के समनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

2. घोषणापत्र की 5 आधारभूत विधिक एवं दार्शनिक प्रतिज्ञाएं

विश्व के समस्त प्रमुख धर्मों (सनातन, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, यहूदी, बहाई, पारसी आदि) के संयुक्त प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित 5 मूल सिद्धांतों की सर्वसम्मत घोषणा की जाती है:

प्रतिज्ञा 1: हिंसा का कोई धर्म नहीं होता

- किसी भी धर्म का मूल ग्रंथ अथवा आध्यात्मिक परंपरा निर्दोषों की हत्या, आतंकवाद अथवा हिंसा का समर्थन नहीं करती।
- जो व्यक्ति अथवा संगठन धर्म के नाम पर रक्तपात करते हैं, वे वस्तुतः उस धर्म के मूल आदर्शों के घोर द्रोही हैं।

प्रतिज्ञा 2: जीवन की पवित्रता एवं सार्वभौमिक मानवीय गरिमा

- प्रत्येक मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र धरोहर है। किसी भी जाति, पंथ अथवा वैचारिक मतभेद के आधार पर किसी का जीवन छीनना अथवा प्रताड़ित करना अक्षम्य अपराध है।

प्रतिज्ञा 3: घृणा-भाषण एवं धार्मिक उन्माद का पूर्ण बहिष्कार

- धार्मिक प्रवचनों, धार्मिक जुलूसों, सोशल मीडिया अथवा सार्वजनिक मंचों से अन्य धर्मों अथवा आस्थाओं के विरुद्ध अपशब्द, घृणा या वैमनस्य फैलाने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध।

प्रतिज्ञा 4: उपासना स्थलों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

- किसी भी समाज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अथवा किसी भी पूजा स्थल पर हमला संपूर्ण मानवता की आध्यात्मिक अस्मिता पर हमला माना जाएगा।
- प्रत्येक क्षेत्र का बहुसंख्यक समुदाय अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के उपासना स्थलों एवं अधिकारों की रक्षा का नैतिक दायित्व संभालेगा।

प्रतिज्ञा 5: संघर्षों का केवल शांतिपूर्ण संवाद द्वारा समाधान

- ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक विवादों का समाधान केवल विधिक, संवैधानिक एवं अंतर-धार्मिक मध्यस्थता संवाद (Mediation) के माध्यम से ही किया जाएगा।

3. क्रियान्वयन हेतु अष्ट-सूत्रीय वैश्विक कार्ययोजना

घोषणापत्र के व्यावहारिक क्रियान्वयन हेतु परिषद निम्नलिखित 8 विधिक कदम तत्काल प्रभाव से लागू करती है:

1. वैश्विक स्तर पर 'त्वरित शांति मध्यस्थता मिशन' (Rapid Interfaith Peace Missions) की स्थापना, जो किसी भी सांप्रदायिक तनाव स्थल पर 24 घंटे में पहुंचेगा।
2. धार्मिक शिक्षा केंद्रों (मदरसों, गुरुकुलों, सेमिनरी व संडे स्कूल्स) में 'अहिंसा एवं मानवाधिकार शिक्षा' का अनिवार्य समावेश।
3. आतंकवाद एवं उग्रवाद में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा धर्म के दुरुपयोग के विरुद्ध समस्त धर्माचार्यों द्वारा संयुक्त विधिक 'शांति फतवा / सर्वधर्म उद्घोष' जारी करना।
4. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धार्मिक घृणा फैलाने वाली वेबसाइटों व पेजों की ट्रैकिंग हेतु 'साइबर शांति टास्क फोर्स' का गठन।
5. 'धार्मिक हिंसा पीड़ित पुनर्वास कोष' की स्थापना, जिसके तहत पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा, कानूनी व आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों (UN Peacekeeping) में प्रशिक्षित सर्वधर्म शांति दूतों की तैनाती हेतु यूएन के साथ संस्थागत अनुबंध।
7. प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर (अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस) को विश्व भर में 'अहिंसा संकल्प दिवस' के रूप में आयोजित करना।
8. वैश्विक स्तर पर 5 करोड़ (50 Million) नागरिकों से 'अहिंसा एवं शांति वैश्विक प्रतिज्ञा' (Global Non-Violence Pledge) पर डिजिटल हस्ताक्षर कराना।

4. अंतरराष्ट्रीय अहिंसा एवं शांति निगरानी परिषद का गठन

इस घोषणापत्र के वैश्विक अनुपालन एवं निगरानी हेतु निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडल का विधिक गठन किया जाता है:

1. अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (डॉ.) एंटोनियो सिल्वा (पूर्व न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय - ICJ, हेग)
2. सह-अध्यक्ष: डॉ. तवाक्कुल करमान (नोबेल शांति पुरस्कार विजेता)
3. मुख्य समन्वयक: डॉ. आर्थर विलियम्स (महासचिव, अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद)
4. वरिष्ठ आध्यात्मिक सदस्य: स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती (भारत), ग्रैंड मुफ्ती डॉ. अली जुमा (मिस्र), कार्डिनल जीन-मार्क एवेलीन (वेटिकन), रब्बाई डेविड रोसेन (UK), लामा लोबसांग तेनजिन (बौद्ध परंपरा)।

5. विधिक बाध्यता एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण

5.1 घोषणापत्र का संपूर्ण मूल पाठ 12 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, मंदारिन, रूसी, जर्मन, हिब्रू, फारसी, जापानी व स्वाहिली) में आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया है।

5.2 इस घोषणापत्र की एक अधिकृत मुद्रित एवं हस्ताक्षरित प्रति संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), तथा समस्त सदस्य राष्ट्रों के संसदों/शासनाध्यक्षों को आधिकारिक संज्ञान एवं नीतिगत अंगीकरण हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 25 / 10 / 2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद